

**छावनी बोर्ड के विभिन्न बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट की साधारण बैठक का कार्यवृत्त 10-05-2021 को 10.00 बजे  
छावनी बोर्ड के कार्यालय में आयोजित, सेंट थॉमस माउंट**

**उपस्थित सदस्य**

1. ब्रिगे नरिंदर सिंह, अध्यक्ष
  2. श्री.हर्षा, एच.ई., सदस्य सचिव
  3. मनोनीत सदस्य – रिक्त
1. टिप्पण

सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी बोर्ड के वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण के संबंध में परिचालन दिनांक 4-05-2021 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करने के लिए।

**संकल्प सं. 1:** विख्यात।

2. वर्ष 2021-22 (संशोधित) और 2022-23 (मूल) के लिए बजट अनुमान जिसमें स्टोर और एम एंड आर कार्य शामिल हैं।

छावनी लेखा संहिता, 2020 के नियम 20 और 22 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2021 - 2022 के लिए संशोधित बजट अनुमानों और वित्तीय वर्ष 2022 - 2023 के मूल बजट अनुमानों पर विचार और अनुमोदन करना।

सीईओ की रिपोर्ट : - सहायक अनुबंधों के साथ फॉर्म 1एस में व्यापक बजट अनुमानों को पटल पर रखा गया है। छावनी लेखा संहिता, 2020 के नियम 26 के तहत जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान, पुणे की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। फॉर्म संख्या 2एम, 3एम, 4एम, 5एस और 6एम नियम 24(5) के तहत आवश्यक अनुबंध के रूप में संलग्न हैं। नियम 34 में निर्दिष्ट बजट भिन्नता रिपोर्ट (बीवीआर) और अध्याय XXIV में बताए गए वित्तीय विवरण भी संलग्न हैं।

**संकल्प सं. 2:** माना और स्वीकृत किया गया। प्रस्तावित बजट अनुमानों को मंजूरी के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी कमान, पुणे को प्रस्तुत किया जाना है।

3. कोविड केयर सेंटर, सेंट थॉमस माउंट के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

संदर्भ: 1. यह कार्यालय अधिसूचना संख्या एसटीएम/एडीएम/अस्पताल/0873 दिनांक 30.04.2021

2. 05.05.2021 को आयोजित वॉक-इन-इंटरव्यू

3. पीडीडीई पत्र संख्या 19648 / कोविड-19 / कैंट / III / डीई दिनांक 05.05.2021

कोविड की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उद्धृत संदर्भ पत्र के अनुसार, निम्नलिखित चिकित्सक और कर्मचारियों को 06.05.2021 से 06.07.2021 तक दो महीने की अवधि के लिए COVID स्वास्थ्य केंद्र, सेंट थॉमस माउंट में संलग्न होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और उनकी अवधि को कोविड स्थिति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

क्रम संख्या	नाम	पद का नाम	मानदेय
1.	डॉ.पी.अरविंद राज, एमबीबीएस	चिकित्सा अधिकारी	रु.60,000/-
2.	डॉ.एस.प्रवीण राजा, एमबीबीएस	चिकित्सा अधिकारी	रु.60,000/-
3.	डॉ.एस.विश्वेश्वरणि, एमबीबीएस	चिकित्सा अधिकारी	रु.60,000/-
4.	डॉ. के.एन.विश्वेश, एमबीबीएस	चिकित्सा अधिकारी	रु.60,000/-
5.	मिस गायत्री	जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ	रु.18,000/-
6.	श्रीमती रेबेका	अयाह	रु.18,000/-
7.	श्रीमती आनंद पुष्पम	अयाह	रु.18,000/-
8.	श्री.एस.जे.शानावाज़ी	पुरुष नर्सिंग सहायक	रु.18,000/-
9.	श्री. ए. प्रशांतो	पुरुष नर्सिंग सहायक	रु.18,000/-
10.	श्रीमती पुष्पा	लाची	रु.18,000/-

यह भी सूचित किया जाता है कि छावनी अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट में समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे चलना पड़ता है और इसलिए डॉक्टर और कोविड रोगियों का इलाज करने वाले कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है और इसलिए उनके भोजन और आवास की व्यवस्था कार्यालय द्वारा उनकी सगाई की अवधि के लिए की जाती है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

**संकल्प सं. 3:** 06-05-2021 से उपर्युक्त डॉक्टरों और कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया। इसके अलावा, सीईओ को छावनी अस्पताल में समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र के भोजन, आवास, रसद और रखरखाव के लिए आवश्यक खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। सीईओ को कोविड की स्थिति के आधार पर अनुबंध की अवधि बढ़ाने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

4. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन आवेदन।

सेंट थॉमस माउंट एकेडमी सीबीएसई स्कूल, मैगजीन रोड, फुट ऑफ द हिल, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई के संवाददाता एफआर.सी.पॉलराज से प्राप्त भवन आवेदन (योजना) दिनांक 08.04.2021 पर विचार करने के लिए - 600 016 सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर 2) में अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत जीएलआरएस नंबर 290 भाग वाली भूमि पर मौजूदा भूतल और पहली मंजिल के क्लास रूम बिल्डिंग पर दूसरी मंजिल में क्लास रूम के अतिरिक्त निर्माण के लिए अनुमति का अनुरोध करना।

यह प्रस्तुत करना उचित है कि उक्त स्कूल अधिकारियों ने भूतल, प्रथम तल में कक्षाओं के उद्देश्य के लिए पहले ही स्वीकृति प्राप्त कर ली है और दूसरी मंजिल पर छावनी बोर्ड संकल्प संख्या 21 दिनांक 08.09.2016 के तहत और भूतल और पहली मंजिल में साइट पर संरचनाओं का निर्माण किया।

अब उन्होंने द्वितीय तल में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु नवीन भवन योजना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि दो वर्ष की स्वीकृति अवधि समाप्त हो चुकी है।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने बताया है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। एई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजना भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय की रिपोर्ट पटल पर रखी गई है।

**संकल्प सं. 4:** माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने छावनी अधिनियम 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को धारा के तहत शर्तों के अनुरूप मंजूरी देने का संकल्प लिया और छावनी बोर्ड के उपनियम और अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना और अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के हित।

5. बायो मेडिका अपशिष्ट (हैंडलिंग और प्रबंधन) के अनुसार सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा में जैव चिकित्सा अपशिष्ट (फेस मास्क और दस्ताने) के निपटान के लिए मेसर्स जीजे मल्टीक्लेव इंडिया लिमिटेड की सगाई

मेसर्स जी.जे.मल्टीक्लेव इंडिया लिमिटेड को शामिल करने पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए, जो कि 20,000 /- प्रति माह की दर से कोविड देखभाल केंद्र सेंट थॉमस माउंट और पल्लवारम में जैव चिकित्सा कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी है। शुल्क में 15 किलोग्राम / दिन तक का कचरा संग्रह और निपटान शामिल है। साथ ही एकत्रित की गई किसी भी मात्रा के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 44.50/- किलो की दर से शुल्क लिया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं।

**संकल्प सं. 5:** रु. 20,000/- प्रति माह की दर से जैव चिकित्सा अपशिष्टों के वैज्ञानिक निपटान के लिए मेसर्स जीजे मल्टीक्लेव इंडिया लिमिटेड को नियुक्त करने पर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया। सीईओ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है।

sd/-  
(ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह)  
राष्ट्रपति छावनी बोर्ड  
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम  
छावनी बोर्ड

sd/-  
(हर्षा एच. ई)  
सदस्य सचिव और  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक :10-05-2021

अंत